कार्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची।

कालीबाबू स्ट्रीट, राँची–834001, फोन/फैक्स –0651–2214012, ईमेल–rdderanchi@gmail.com

पत्रांक 1064 /

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार शर्मा,
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची।

सेवा में,

प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डायट, रातू।
प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, बुण्डू, राँची।
प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, सिमडेगा।

राँची/दिनांक 13-08-19 /

विषयः– दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2016–18 में प्रथम मेधा सूची तथा सत्र 2015–17 में षष्टम् सूची अनुसार नामांकन लेने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 13.08.2019 को दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2016–18 में प्रथम मेधा सूची तथा सत्र 2015–17 में षष्टम् सूची अनुसार नामांकन हेतु आहूत चयन समिति के बैठक में लिए गये निर्णय एवं अनुमोदित सूची पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

सत्र 2016–18 में ऑनलाईन अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया था, फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाईन अभ्यावेदन की प्रति का शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक तथा जाति–आवासीय प्रमाण पत्रों से मिलान कर उनका नामांकन नियमानुसार दिनांक 31.08.2019 तक कर लेगें तथा नामांकन के उपरांत रिक्ति उपलब्ध रहने पर तत्काल कोटिवार रिक्ति प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मेधा सूची के अभ्यर्थियों का दूरभाष संख्या भी पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है ताकि आपके स्तर अभ्यर्थियों को दूरभाष पर सूचित कर शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जा सके।

सत्र 2015–17 में षष्टम् सूची अनुसार नामांकन लेने के पूर्व सभी अभिलेखों का मिलान कर सुनिश्चित कर लेंगे कि अभ्यर्थी द्वारा उनके चयन से संबंधित सभी योग्यता संबंधी एवं अन्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिये गयें है तथा इसी अनुसार सभी मूल प्रमाण पत्र भी संस्थान में जमा कर लिये गये हैं। इनके मूल अभ्यावेदन पत्र को संलग्न कर उपलब्ध कराया जा रहा है।

नामांकन के उपरांत दो माह के अंदर सभी अभ्यथियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित कार्यालय/संस्थान से अनिवार्य रूप से करा लिया जाय। प्रमाण पत्रों के सत्यापनोंपरांत प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाय। अगर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी द्वारा कोई गलत या जाली प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है तो उसका नामांकन रद्द करते हुए कृत कार्रवाई की सूचना दी जाय।

नामांकन के समय संबंधी अभ्यर्थियों के द्वारा शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र (आवेदन मे उल्लेखित) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उनका अभ्यार्थित्व समाप्त समझा जायेगा। निर्धारित तिथि तक नामांकन नही लियें जाने के स्थिति उनका नामांकन नहीं लिया जायेगा। जाति/निवासी प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन करने की अंतिम तिथि • 31.01.19 के पूर्व निर्गत ही मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन करने की अंतिम तिथि उपरांत निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। खेल प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 से संबंधित प्रमाण पत्रों के सत्यापन भी निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संबंधित संस्थान द्वारा किया जायेगा।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

13/8/19

(अशोक कुमार शर्मा)
क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची।

13/8/19